

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर-0141-2740735 फैक्स नम्बर- 0141-2742309)

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/18841-50 दिनांक :- 5 फरवरी 2014

श्री विष्णु सिंह पुत्र श्री भगवत् सिंह

प्लॉट नं 397, तारानगर "ए"

झोटपाड़ा जयपुर 302012

(मार्ग क्रमांक 252/2011)

विषय - लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में नोटिस।

प्रसार - निदेशालय का पत्रांक 321/2013-14 दिनांक 13.12.2013

सम्बन्धित क्रमांक राया आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा 2011 में सफल कार्यालयीय पूर्ण होने एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र विभाग में प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस वेरीफिकेशन की दिनांक 13.12.2013 द्वारा आपका लेखाकार पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर जिला एवं सेशन न्यायाधीश झूंगरपुर में आदेशों की अनुपालना में आपके द्वारा लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के आदेश जारी किए गए थे, किन्तु विभागीय आदेशों की अनुपालना में आपके द्वारा लेखाकार पद पर कार्यग्रहण नहीं किया गया।

आपका आंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है दिनांक 20 फरवरी 2014 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपके लेखाकार पद पर किए गए नियुक्ति आदेश रद्द हो निरस्त समझे जावेंगे।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/18841-50 दिनांक : 5 फरवरी 2014

प्रतिक्रिया का सम्बन्ध एवं आवश्यक कार्यालयीय हतु -

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्थ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

3. राजस्थान न्यायाधीश न्यूमॉर को प्रगति कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यासी द्वारा आपके कार्यालय में उपरिथित देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार नियोरित स्वारक्ष्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के धिक्कित्सा अधिकारी द्वारा इस्तेक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

4. श्री विष्णु सिंह पुत्र श्री भगवत् सिंह, प्लॉट नं. 397, तारानगर "ए" झोटपाड़ा, जयपुर-302012 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 20 फरवरी 2014 तक विभागीय आदेशों की अनुपालना में नियोरित नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर कार्यालय कर कार्यालयीय रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. अधिकारी (एसीपी) क्रम्यकार अनुपालग का वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हतु।

6. निजी सहायक, निदेशक महादया।

7. गोपनीय शाखा।

8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(के. एम. भीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)